



कार्यालय: राँची नगर निगम, राँची।

(अभियंत्रण शाखा)

कचहरी रोड, राँची, पिन - 834001

e-mail :- support@ranchimunicipal.com

पत्रांक :- 42/अभि0

दिनांक :- 08.11.17

अल्पकालीन निविदा आमंत्रण सूचना

1. विज्ञापनदाता का नाम :- अधीक्षण अभियंता, राँची नगर निगम, राँची ।
2. निविदा प्राप्त करने की तिथि एवं समय :- 22/11/2017 को 02:00 बजे अपराहन तक।
3. निविदा खोलने की तिथि एवं समय :- 22/11/2017 को 02:30 बजे अपराहन के बाद।
4. परिमाण विपत्र Download की तिथि :- 14/11/2017 से 21/11/2017 तक।
5. निविदा प्राप्ति का स्थान :- (1) अभियंत्रण शाखा, राँची नगर निगम, राँची ।
(2) सीटी कन्ट्रोल कक्ष, कचहरी, राँची।

क्र०	वार्ड नं०	योजना का नाम	प्राक्कलित राशि	परिमाण विपत्र का मूल्य	अग्रधन की राशि	कार्य समाप्ति की अवधि (कार्यादेश की तिथि से)
1	2	3	4	5	6	7
1	10	रिर्वसा अपार्टमेंट के बगल तपोवन में शेष बचे हुये भाग का नाली निर्माण कार्य।	161473	1000	3300	45 दिन
2	12	केतारी बगान रोड नं० - 01/ए० में राजेन्द्र वर्मा के घर से विजय बहल के घर तक पी० सी० सी० पथ निर्माण।	408792	1000	8200	60 दिन
3	14	साई कोलोनी मदन सिंह अपार्टमेंट से पावर हाउस पथ तक पथ सुधार कार्य।	539184	5000	10800	60 दिन
4	14	शिवपुरी में सुबोध चन्द्र महादानी के घर से द्वारा जी के घर तक पी० सी० सी० पथ निर्माण एवं पुलिया निर्माण।	204859	1000	4100	45 दिन
5	24	फतेह मिर्जा रोड में इमरोन के घर से बैंक नईम के घर तक पी० सी० सी० पथ निर्माण कार्य।	489832	1000	9800	60 दिन
6	52	वीर कुंवर सिंह कोलोनी में साहु जी के घर से बसंती कच्छप के घर तक पी० सी० सी० पथ निर्माण कार्य।	318008	1000	6400	45 दिन
7	52	फिरदौस नगर रोड नं० - 04 में पी० सी० सी० पथ निर्माण कार्य।	400496	1000	8100	60 दिन
8	52	पोखर टोली रोड के० जी० एन० कोलोनी रोड नं० -03 में असलम दुकान से इन्नाज मास्टर के घर तक पी० सी० सी० पथ निर्माण कार्य।	277706	1000	5600	45 दिन
9	54	प्रेम नगर रोड नं० - 06 गीता कोलोनी में श्री अरुण कुमार के घर से नदी तक नाली निर्माण कार्य।	288768	1000	5800	45 दिन

1. निविदा के साथ निम्नलिखित कागजात निम्न क्रम में संलग्न करना अनिवार्य होगा।
 - (क) a. परिमाण विपत्र का मूल्य (डिमाण्ड ड्राफ्ट मूल रूप में)
 - b. अग्रधन की राशि (मूल रूप में)
 - c. राँची नगर निगम/नगर विकास एवं आवास विभाग में निबंधन की प्रति।
 - d. वैध चरित्र प्रमाण पत्र (छाया प्रति)
 - e. वैध वाणिज्य कर सफाया प्रमाण पत्र (छाया प्रति)/G.S.T निबंधन से संबंधित प्रमाण पत्र
 - f. पैन (छाया प्रति)
 - g. Download किया गया एन० आई० टी० के साथ परिमाण विपत्र।





(ख)

उपरोक्त क्रम में संबंधित दस्तावेज संलग्न करने के उपरान्त प्रत्येक पृष्ठ में (अग्रघन की राशि एवं डिमाण्ड ड्राफ्ट को छोड़कर) पृष्ठ संख्या अंकित कर स्वप्रमाणित (हस्ताक्षर) किया जाना आवश्यक है।

2. बिना कारण बताये निविदा या किसी विशेष कार्य को रद्द करने अधिकार अधोहस्ताक्षरी को सुरक्षित होगा।
3. निविदा के साथ अग्रघन की राशि राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र (8वाँ निर्गम) तीन या पाँच वर्षीय सावधि पासबुक (पोस्ट ऑफिस का) जो नगर आयुक्त, राँची नगर निगम, राँची के पदनाम से प्रतिज्ञित (प्लेज) हो, देय होगा।
4. परिमाण विपत्र का मूल्य (जो किसी भी परिस्थिति में वापस नहीं होगा), राँची नगर निगम में डीमांड ड्राफ्ट (प्रत्येक ग्रुप के लिये अलग से) नगर आयुक्त, राँची नगर निगम, राँची के नाम से जमा करना होगा एवं परिमाण विपत्र राँची नगर निगम के वेवसाईट www.ranchimunicipal.com से उपरोक्त निर्धारित तिथि के अन्दर Download किया जाना है तथा डीमांड ड्राफ्ट (प्रत्येक ग्रुप के लिये अलग से) संख्या उसमें अंकित करते हुये निविदा के साथ अलग Cover में निर्धारित तिथि को निगम में जमा करेंगे।
5. इस निविदा के संबंध में विस्तृत जानकारी निविदा प्रकाशन के उपरांत किसी कार्य दिवस में नगर निगम के अभियंत्रण शाखा से प्राप्त किया जा सकता है।
6. कार्य की प्राक्कलित राशि घट या बढ़ सकती है। तदनुसार अग्रघन की राशि एवं परिमाण विपत्र के मूल्य में परिवर्तन हो सकता है। अनुमोदित परिमाण विपत्र के अनुसार ही उक्त राशि देय होगी।
7. सशर्त निविदा मान्य नहीं होगा। निविदा से संबंधित विशेष शर्त परिणाम विपत्र के साथ संलग्न रहेगा जो एकरारनामा का अंग होगा।
8. अनुसूचित दर से 10 प्रतिशत से कम दर मान्य नहीं होगा।
9. निविदा के पूर्व स्थल का निरीक्षण संवेदक कर लें तथा स्थिति से संतुष्ट होकर ही निविदा दे। इस संबंध में किसी भी प्रकार का दावा मान्य नहीं होगा। संवेदक को किसी प्रकार का यंत्र-सयंत्र एवं सामग्री निगम द्वारा उपलब्ध नहीं कराया जायेगा।
10. जिन संवेदको द्वारा ससमय कार्य पूर्ण नहीं किया गया है तथा अभी भी कार्य लंबित है, उन संवेदको को कार्य आवंटित नहीं किया जायेगा।
11. आवंटित कार्य का किसी भी परिस्थिति में Sub-letting मान्य नहीं होगा।
12. किये गये कार्य का रख रखाव 3 वर्षों तक संवेदक के द्वारा किया जायेगा। इसके लिए सुरक्षित राशि 3 वर्षों की अवधि पूरा होने के पश्चात् ही कार्य संतोषप्रद पाये जाने पर विमुक्त की जायेगी तथा EMD की राशि कार्य पूर्ण होने के उपरान्त 06 माह में विमुक्त की जायेगी।
13. कार्य स्थल पर कार्य की विवरणी का सूचना पट्ट संबंधित सहायक अभियंता से प्रारूप अनुमोदित कराकर लगाना अनिवार्य होगा।
14. कार्य आवंटित किये जानें के पश्चात संवेदक अभियंत्रण शाखा में शेष अग्रघन की राशि राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र (8वाँ निर्गम) तीन या पाँच वर्षीय सावधि पासबुक जो नगर आयुक्त, राँची नगर निगम, राँची के पदनाम से प्रतिज्ञित (प्लेज) हो, एक सप्ताह के अन्दर जमा कर एकरारनामा करना सुनिश्चित करेंगे। एकरारनामा ससमय नहीं किये जाने पर आवंटित कार्य रद्द कर दिया जायेगा तथा भविष्य में कोई भी कार्य आवंटित नहीं किया जायेगा न ही कार्य आवंटन के संबंध में कोई दावा मान्य होगा।
15. संवेदक कार्य समाप्ति के पश्चात् कार्यालय को सूचित करेंगे। सूचना नहीं प्राप्त होने पर ऐसा समझा जायेगा की संवेदक द्वारा निर्धारित अवधि में कार्य पूर्ण नहीं कराया गया है एवं समय वृद्धि किसी भी परिस्थिति में नहीं दी जायेगी।

उपरोक्त निर्देशों का अनुपालन नहीं किये जाने पर संबंधित निविदार्यें अमान्य कर दी जायेगी।

21/08/17

अधीक्षण अभियंता
राँची नगर निगम, राँची।

